भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5497
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी चुनौती निधि के लिए योजनाएं

†5497. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शहरी चुनौती निधि योजना और औद्योगिक आवास योजना की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2025-26 के बजट में शहरी चुनौती निधि और औद्योगिक आवास योजनाओं के लिए क्रमशः 10,000 करोड़ रुपये और 2,500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं के लिए कोई नियम या मानदंड बनाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) शहरी अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बजट 2025-26 में सरकार ने 'विकास केंद्रों के रूप में शहरों', 'शहरों के सृजनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के प्रस्ताव कार्यान्वित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें से 10,000 करोड़ रुपए वर्ष 2025-26 के लिए हैं। इस कोष से बैंक-योग्य परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत का वित्तपोषण इस शर्त के साथ किया जाता है कि कम से कम 50 प्रतिशत लागत का वित्तपोषण बांडों, बैंक ऋणों तथा सार्वजनिक निजी साझेदारियों के

माध्यम से किया जाए। योजना दिशानिर्देशों का निरूपण हितधारकों के साथ परामर्श के चरण में है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने औद्योगिक कामगारों के लिए शयनशाला (डॉर्मिटरी) श्रेणी वाले किराए के आवास की घोषणा की है, जिसकी सुविधा एंकर इंडस्ट्री से व्यवहार्य पूरक वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता और प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ, 2025-26 के बजट में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

*****